समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला पंचायत शाखा)

फोन नं0— 06156—226001, 226003
फैक्स नं0—06156—226004
Email-ID:-dm-gopalganj.bih@nic.in

ज्ञापांक 600 / पं0
दिनांक 25 / 03 / 2020

आदेश

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3 / प / विविध—17—20 / 2018—4046 / पं0रा0 पटना दिनांक 25.07.2018 के आलोक में इस जिला अन्तर्गत लेखापाल—सह— आई0 टी0 सहायक के 58 पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाना है। उक्त नियोजन के निमित्त दिनांक 04.02.2020 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में इस कार्यालय के **ज्ञापांक 233 / पं0 दिनांक 07 / 02 / 2020** द्वारा लेखापाल—सह— आई0 टी0 सहायक के पद हेतु मेधा सूची प्रकाशित करते हुए विभागीय पत्रांक 7150 दिनांक 20.12.2018, पत्रांक 1300 दिनांक 14.01.2019 एवं पत्रांक 28 दिनांक 03.01.2019 में निहित निदेश के क्रम में **दिनांक 04.02.2020** को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मेधा सूची के वरीयता क्रम में आनेवाले वैसे अभ्यर्थियों जिनके प्रमाण—पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त हो चुका है एवं सत्यापन के क्रम में जिनके प्रमाण—पत्र वैध पाये गये है, उनके नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाय। चयन समिति के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 241 / पं0 दिनांक 07.02.2020 द्वारा 19 अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया गया है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित शिक्षण संस्थानों से अप्राप्त था, उनके सत्यापन प्रतिवेदन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों को पुनः स्मारित किया गया। उक्त के क्रम में 23 वैसे अभ्यर्थी जो लेखापाल —सह— आई0 टी0 सहायक के पद पर चयन हेतु पात्रता रखते हैं, का पूर्णतः सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित 23 (तेईस) अभ्यर्थियों को लेखापाल —सह— आई0 टी0 सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :—

क्र0	मेधा सूची क्र0	मेधा अंक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	लिंग	आवेदित कोटि	चयनित कोटि	गृह प्रखण्ड / जिला
1	2	100.5	स्वीटी कुमारी	अनील पाण्डेय	15.04.97	महिला	Gen	UR	दिल्ली
2	6	97.75	श्वेता चौहान	शशि प्रकाश सिंह	10.05.88	महिला	Gen	UR	भोरे
3	7	96.38	श्वेता कुमारी	अखिलेश कुमार	13.01.90	महिला	BC	UR	नालंदा
4	8	95.88	अरूण कुमार चतुर्वेदी	विजय कुमार चौबे	14.02.86	पुरूष	Gen	UR	बरौली
5	9	94.38	समीर कुमार शर्मा	रामनाथ शर्मा	02.01.86	पुरूष	ST	UR	सिधवलिया

6	12	93.5	रोहित कुमार यादव	रामनाथ प्रसाद यादव	15.12.90	पुरूष	BC	UR	बरौली
7	21	89.9	प्रियंका मिश्रा	अवधेश मिश्रा	15.02.94	महिला	Gen	URF	फुलवरिया
8	26	89.5	अशोक कुमार सिंह	बबन सिंह	14.10.86	पुरूष	Gen	UR/PH	बैकुण्ठपुर
9	27	89.5	उत्तम कुमार	प्रेम शंकर प्रसाद	01.03.91	पुरूष	EBC	EBC	छपरा
10	31	88	विनित कुमार गुप्ता	विनोद कुमार गुप्ता	05.01.93	पुरूष	BC	BC	उचकागाँव
11	32	87.88	रंजु कुमारी	मोख्तार सिंह	10.02.91	महिला	BC	URF	सिवान
12	34	87.38	अरविन्द कुमार	महराज प्रसाद	20.12.84	पुरूष	EBC	EBC	सिवान
13	35	87.38	नेहा कुमारी	जितेन्द्र शर्मा	14.04.90	महिला	EBC	URF	मांझा
14	36	87.38	अंकिता कुमारी	मंकेश्वर प्रसाद	20.04.93	महिला	EBC	URF	सिवान
15	38	87	अनुप कुमार सोनी	हरेन्द्र प्रसाद	13.04.92	पुरूष	BC	BC	सिवान
16	41	86.38	पूजा कुमारी	जलेश्वर नाथ तिवारी	04.02.94	महिला	Gen	URF	पंचदेवरी
17	44	85.88	जितेन्द्र कुमार	श्रीनाथ साह	02.08.88	पुरूष	EBC	EBC	छपरा
18	47	85.75	श्रेया राज	ओम प्रकाश	18.11.93	महिला	Gen	URF	सिवान
19	48	85.62	कुमारी सुनिता कुशवाहा	राजालाल सिंह	06.07.92	महिला	BC	URF	भोरे
20	53	83.06	अंजिला कुमारी	राकेश कुमार यादव	05.05.94	महिला	BC	BCF	हथुआ
21	59	78.75	मधु कुमारी	शिवेन्द्र कुमार राम	10.04.89	महिला	SC	SC	गोपालगंज
22	61	76.71	शहबाज आलम	म0 शेराजुल हक	19.06.92	पुरूष	Gen	UR/PH	उचकागाँव
23	64	76.25	अमृता कुमारी	धुप प्रसाद	15.04.93	महिला	EBC	EBCF	मांझा

<u>नियोजन की शर्त :–</u>

1. उपर्युक्त चयन/नियोजन दिनांक 31 मार्च 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25.07.2018 में निहित निदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को नियोजन मुक्त करने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज का होगा।
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
5. नियोजित कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।

6. **मानदेय** :– उपर्युक्त चयनित/नियोजित कर्मियों को 20000 (बीस हजार) रूपये प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर विभागीय निदेश के आलोक में वृद्धि की जा सकेगी।
7. मानदेय के आधार पर चयनित/नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. मानदेय आधारित कर्मियों की चयनित अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
9. किसी प्रकार की तकनीकी अथवा गलत साक्ष्य प्रमाणित पाये जाने पर नियोजन बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।
10. योगदान के समय सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही दहेज नहीं लेने/देने संबंधी शपथ– पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।
11. आरक्षित कोटि से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कोटि का मूल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. चयनित अभ्यर्थियों को तीन माह मे कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।
13. असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. उपर्युक्त क्रमांक 01 से 13 तक सभी विन्दुओं से संबंधित एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज के साथ किया जाएगा।
15. सभी चयनित अभ्यर्थी **दिनांक 31/03/2020 तक** जिला पंचायत शाखा, गोपालगंज में सर्वप्रथम योगदान करेंगे तदोपरान्त उन्हें कार्य करने हेतु पदस्थापित प्रखण्डों में भेजा जाएगा। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा अमान्य कर दिया जाएगा।
16. इस चयन में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उसे परिमार्जित कर दिया जाएगा।
17. भविष्य में किसी भी चयनित लेखापाल –सह– आई0 टी0 सहायक के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के फर्जी/जाली पाये जाने का तथ्य परिलक्षित होने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी।
18. **लेखापाल –सह– आई0 टी0 सहायक के दायित्व** :–

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड़ कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(ii) अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित कराना।

(iii) ग्राम पंचायतों तथा वार्ड़ कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।

(iv) ग्राम पंचायतों तथा वार्ड़ कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।

(v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(vi) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(vii) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य आवंटित कार्यो को सम्पन्न करना।

ह0–/
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 600 /पं0 दिनांक 25/3/2020/

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आयुक्त, सारण, प्रमण्डल, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद –सह– उप विकास आयुक्त, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अपर समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला– गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी जिला– गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी चयनित लेखापाल –सह– आई0 टी0 सहायक जिला– गोपालगंज को सूचनार्थ एवं यथा निदेशित ससमय सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए योगदान प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

24/3/20

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।